(क) कर्णाटक में अब तक कितने नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है;

(ख) आत्म समर्पण करने के लिए उन्हें क्या-क्या सुविधाएं/आश्वासन दिए गए हैं; और

(ग) क्या कर्णाटक के नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों को भारत सरकार की ओर से कोई सहायता प्राप्त है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (ग): हिंसा के प्रोफाइल के आधार पर केंद्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के तहत नक्सल-रोधी आभियानों पर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा उपगत किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए इन राज्यों के 103 जिलों का चयन किया है। चूँकि कर्नाटक में वामपंथी उग्रवादी हिंसा का स्तर अधिक नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब तक एस आर ई योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य के किसी जिले को शामिल नहीं किया है। तथापि, कर्नाटक राज्य को राज्य पुलिस और उनके आसूचना तंत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ स्कीम) के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।**

 **जानकारियों के अनुसार, वर्ष 2001 से (दिनांक 15.04.2012 तक) कर्नाटक में केवल 05 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकारों की अपनी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियाँ हैं।**